न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः— श्री श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्याः— 2 / 55 / 2024 दायर दिनांकः— 05 / 05 / 2024
जीसीएमएस नं0:— 2024 / 137 निर्णय दिनांकः— 24 / 12 / 2024

बउनवान

1. अमरसिंह पुत्र श्योपाल जाति मीना निवासी रींगसपुरा तहसील कठूमर जिला अलवर।

——— प्रार्थीगण

बनाम

1. जगदीश प्रसाद पुत्र श्योपाल जाति मीना निवासी रींगसपुरा
2. हरिराम पुत्र श्योपाल जाति मीना निवासी रींगसपुरा
3. केशरदेवी पुत्री श्योपाल जाति मीना निवासी रींगसपुरा
4. चम्बल पुत्री रामकिशन जाति मीना निवासी रींगसपुरा
5. विशनी पुत्री रामकिशन जाति मीना निवासी रींगसपुरा
6. शिवलाल पुत्र रामकिशन जाति मीना निवासी रींगसपुरा
7. हरलाल पुत्र रामकिशन जाति मीना निवासी रींगसपुरा तहसील कठूमर
8. सब रजिस्ट्रार महोदय भनोखर।

——— अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थितिः—1.तेजसिंह राठी— अधिवक्ता प्रार्थी
2.घनश्याम शार्म— अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 4 से 7
3.भागचन्द जैन— अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 से 3

—:आदेशः—

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 188 रकवा 0.33 हैक्ट0, खसरा नम्बर 189 रकवा 0.40

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

हैक्ट0, 190 रकबा 0.40 हैक्ट0, 46 रकबा 0.75 हैक्ट0, 50 रकबा 0.03 हैक्ट0, 51 रकबा 0.42 हैक्ट0, 52 रकबा 0.02 हैक्ट, 53 रकबा 0.22 हैक्ट0, 54 रकबा 0.58 हैक्ट0, 55 रकबा 0.36 हैक्ट0, 56 रकबा 0.37 हैक्ट0, 57 रकबा 0.08हैक्ट0, 59 रकबा 0.08 हैक्ट0, 61 रकबा 0.07 हैक्ट0, 62 रकबा 0.41 हैक्ट0, 63 रकबा 0.32 हैक्ट0,ग्राम रींगसपुरा तहसील कठूमर में स्थित है। उक्त आराजी में सायल का 1/8 हिस्सा तथा शेष हिस्सा गैरसायल का है। उक्त विवादित आराजी सायल व गैरसायलान के शामलात कब्जे काश्त की खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड आराजी जिसका कानूनी तकासमा नहीं हुआ है। विवादीत आराजी पर प्रार्थीण एवं अप्रार्थीगण शामलात में काविज रहकर काश्त करते चले आले आ रहे है तथा मौके पर कब्जे काश्त में है। लगान पक्षकार शामलात में अदा कर रहें है।लेकिनअब प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य विवादीत आराजी पर शामलात काश्त में छोटी–छोटी बात को लेकर कहा सुनी हो जाती है। झगडा होता रहता है। जिसके कारण अब अप्रार्थीगण शामलात में काश्त करने में कोई रूचि नहीं लेते है जिसके कारण उक्त आराजीयात पर काश्त करना संभव नहीं है। लेकिन अप्रार्थीगण अब उक्त आराजी को तकसीम कराने को तैयार नहीं है। को मानने को तैयार नहीं है। अप्रार्थीगण अब प्रार्थीगण के हक हिस्सा व घरेलु बटवारा में आई आराजी पर कब्जे काश्त करने में बाधा पैदा करते है झगडा करते है उक्त आराजी से वेदखल करना चाहते है। जो विवादित आराजी को बिना किसी हक व अधिकार के दीगर लोगों को रहन वय करना चाहते है तथा प्रार्थीगण के हिस्सानुसार कब्जे काश्त में बाधा पैदा करते है। यदि अप्रार्थीगण अपने नापाक ईरादों में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को ना पूर्ति होने वाली क्षति होगी जिसकी पूर्ति पैसों में संभव नहीं है। अतः प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को ता फैसला दावा पाबन्द कराने का निवेदन किया है।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ओर से दिनांक 05.12.2024 को उनके अधिवक्ता उपस्थित आये जिन्होने जवाब पेश नहीं करना चाहा जिसके कारण उनका जवाब बन्द किया गया, अप्रार्थी संख्या 5 से 7 की ओर से दिनांक 06.06.2024 को अधिवक्त न्यायालय में उपस्थित होकर प्रारम्भिक ऐतराज के साथ जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि तकसीम का वाद सहखातेदार के मध्य पेश किया जाता है सायल को पहले अपने हक की घोषणा करानी चहीये थी तहसीलदार कठूमर राज्य सरकार का प्रतिनिधी होने के कारण दावा पेश करने से पूर्व धारा 80 जा0दी0 को नोटीस मयादी 60 दिवस नही दिया गया जिस कारण सायल का प्रार्थना पत्र मेन्टेनेवल नही है विवादी आराजी का करीब 70 साल पहले सायल व गैरसायल के बीच बटंवारा हो चुका है, मौके पर विवादीत आराजी वटी हूई है। एक सह खातेदार दुसरे सह खातेदार को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नही करा सकता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में सभी कथन झूठे एवं मनगढन्त है तथ्य छुपाकर पेश किया गया है। जिसके कारण केस व सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होने के कारण प्रर्थीगण को किसी तरह का नुकसान व क्षति नहीं होती है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रदर्श–1 नकल जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 वाके ग्राम रिंगसपुरा छाया प्रति पेश की है।जो शामिल पत्रावली है। हमने पत्रावली के तथ्यों सायल द्वारा प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड छाया प्रति अवलोकन किया व विद्वान अधिक्ता पक्षकारान की बहस पर मनन किया। **सायल को अपने प्रार्थना पत्र में सफलता प्राप्त करने के लिये निम्न तीन विन्दुओं को अपने पक्ष में सावित कराना है –**

1. प्रथम दृष्टा केस

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

2. सुविधा का सन्तुलन

3. ना पूर्ति होने वाली क्षति

1. **प्रथम दृष्टा केसः–** प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में खातेदार के रूप में संयोजित है जिसके समर्थन में प्रार्थी द्वारा जमाबन्दी प्रस्तुत कि गई है जमाबन्दी के पत्रावली तथ्यों से उक्त विवादित आराजी पर सायल का कब्जा प्रतीत होता है। जिससे सायल अपनी विवादित आराजीयात में से अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी का तकासमा कराने के अधिकारी है जिससे सायल प्रथम दृष्टया मामला साबित करने में सफल रहा है। उक्त बिन्दु सायल के पक्ष में बखुवी सावित है।

2. **सुविधा का संतुलनः–** गैरसायलान को पाबन्द किये जाने से उन्हें किसी तरह का नुकशान क्षति या असुविध होती हो इस तरह की स्थिति अदालत के समक्ष नहीं है गैरसायल को पांबद नही किया गया तो प्रार्थी को असुविधा हो सकती है प्रार्थी साबित करने मे सफल रहा है। उक्त बिन्दु सायल के पक्ष में बखुवी सावित है।

3. **ना पूर्ति होने वाली क्षतिः–** पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड के अवलोकन से विवादित आराजी वाके ग्राम रिंगसपुरा पर सायल का कब्जा प्रतीत होता है। यदि गैरसायलान को पाबन्द नहीं किया गया तो गैरसायलान सायल को उक्त आराजी से वेदखल कर सकते है। जिससे ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल को हो सकती है। उक्त बिन्दु सायल के पक्ष में बखुवी सावित है।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

उपरोक्त बिन्दुओ के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र साबित होने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य प्रतित होता है। सायल अपने प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट को सावित करने में सफल रहे है इस वजह से सायल का प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट सावित होने के कारण स्वीकार कर पत्रावली पर जारी स्टे आदेश दिनांक 02.05.2024 को मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो वाद तकमील वो मूल वाद के साथ संलग्न हो।

निर्णय आज दिनांक 24.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

श्याम सुन्दर चेनीवाल (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी, कठूमर, अलवर